(20)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश) भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/2084 प्र.क. पुनरीक्षण याचिका क्र..............

1. शौकत सईद आत्मज स्व. श्री सईद खांन

2. मोहम्मद सोहेल खान आ. मोहम्मद इस्माइल खान

कृषक जैतपुरा तहसील बैरसिया जिला भोपाल

निवासी– 44, नारियलखेडा भोपाल

.... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन व्दारा अपर आयुक्त

भोपाल

.... उत्तरदाता

आज दिनांक ;13/18 को अधि. श्री श्री.मुन. कोचर द्वारा भोपाल में प्रस्तुत 26/3/18

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रक.क. 42/अपील/15–16 शौकत सईद एवं अन्य वि. शासन मे पारित आदेश दिनांक 5.2.2018 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षणयाचिका समयअवधि मे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है::–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /भोपाल /भू.रा/18/2084

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री बी0एन0कोचर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-2-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में उनके द्वारा जारी स्थगन लोकायुक्त में प्रचलित जॉच प्रकरण के कारण शासन हित में समाप्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि स्थगन देना अथवा नहीं देना प्रकरण की स्थिति एवं पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	